



2026:AHC:17197

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 45971 सन् 2025

अर्चना

..... याचिककर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिककर्ता(गण) के अधिवक्ता: राजीव कुमार मिश्रा

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तुत प्रकरण में पारित किए जाने वाले आदेश के दृष्टिगत, प्रतिपक्ष को नोटिस देने एवं इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी प्रयोजन नहीं रह जाता। तथापि, यदि प्रतिपक्ष इस आदेश से व्यथित अनुभव करे, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
3. प्रस्तुत रिट याचिका में याचीगण द्वारा माँगी गई मूलभूत राहत यह है कि प्रत्यर्थी संख्या-2, आयुक्त, आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ को निर्देशित किया जाए कि वे पुनरीक्षण संख्या 290/A (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या सी2025150000001504) (अर्चना बनाम श्रीमती सुशीला एवं अन्य), उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अंतर्गत, शीघ्रता से निर्णीत करें।
4. यह विषय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित है और पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है, किंतु अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, प्रस्तुत याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि संबंधित न्यायालय उपरोक्त वाद को विधि के अनुसार शीघ्रता से निर्णीत करे तथा जब तक कोई विधिक बाधा न हो, तब तक अनावश्यक स्थगन न दे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

22 जनवरी, 2026

स्वाति

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।